राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– न–5(10) पुविशा/संस्था/श्वान दल/सीधी भर्ती/2018/17337 दिनांकः– 14-11-2022

विज्ञप्ति

संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प–4(42) गृह–1/18 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा राज्य विशेष शाखा राजस्थान, जयपुर में सीधी भर्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम–1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्वान दल हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कैनल–बॉय) के 08 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सहमति के क्रम में उक्त पदो के लिये आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

जाति वर्ग	सामान्य		बी.सी. वर्ग		अनुसूचित जाति		कुल योग	भू.पू.सै.
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष		
रिक्त पद	01	05	0	01	0	01	08	01

उक्त रिक्त पद वेतनमान पीबी–1–5200–20200 ग्रेड पे 1700 में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 की मेट्रिक्स लेवल एल–1 में होगा। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन काल दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त पदों का नियत फिक्स मानदेय रू 12400/– प्रतिमाह देय होगा। तद्उपरान्त नियमानुसार वेतन देय होगा।

1. **राष्ट्रीयताः**– अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो अथवा उक्त नियमों के नियम–11 के अनुसार भारत का नागरिक होने की आर्हता रखता हो।

2. **आयुः**– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात 01.01.1983 से 02.01.2005 के मध्य जन्म होना चाहिए। एससी/बी.सी. वर्ग के पुरूष एवं सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट एवं एससी/बीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवा/विवाह विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

3. **शैक्षणिक योग्यताः**–अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्त्तीर्ण होना आवश्यक है तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं केनल की साफ–सफाई एवं देखभाल का अनुभव होना चाहिए।

4. **शारीरिक योग्यताः**– आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसकी सेवा सम्पादित करने में बाधक हो। चयन होने के उपरान्त आवेदक को राज्य सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. **चरित्रः**–आवेदक को साक्षात्कार के समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया जाकर दण्डित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लम्बित हो तो आवेदक को पूर्ण विवरण शपथ पत्र पर अंकित करना होगा। उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्टेट से प्रमाणित होना आवश्यक है।

6. **कार्य अनुभव–आवेदक को केनल की साफ–सफाई सही रूप से करने, श्वानों का खाना बनाने एवं निर्धारित स्केल से श्वानों को खाना खिलाने का अनुभव होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है तथा किसी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।**

7. **पेंशन योजना** :–परिविक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 की अनुसूची अ के अन्तर्गत वेतन भत्ते नियमानुसार देय होंगे एवं नियुक्ति दिनांक से अंशदायी पेंशन के संबंध में राज्य सरकार का आदेश कमांक प–12(3)वित्त–नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा दिनांक 01.04.2022 से नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की गई है, जो प्रभावी होगा।

8. **सन्तान सम्बन्धी प्रमाण पत्रः**–राज्य सरकार के नियमानुसार जिन अभ्यर्थियों के दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होगें।

9 **विवाह पंजीयन प्रमाण पत्रः**– राज्य सरकार के नियमानुसार विवाहित स्त्री/पुरूष द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जाएंगी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नही होने की स्थिति में 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. **दहेज न लेने/देने बाबत शपथ पत्रः**– समस्त विवाहित अभ्यर्थियों (स्त्री/पुरूष) को इस आशय का शपथ पत्र 50/– रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवा कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया/दिया है।

11. **आवेदन पत्र भरने की प्रकिया एवं अन्तिम तिथिः**– भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन लिए जाएगें। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID उपलब्ध नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई–मित्र कियोस्क या जनसुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनावाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क या जनसुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट व हाल ही खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ अपलोड होगा।

ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वयं के स्तर पर अथवा राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से वैबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in पर दिनांक 21.11.2022 से दिनांक 10.12.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक भरा जाएगा। इस सम्बन्ध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वैबसाईट पर उपलब्ध है।

आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सम्बन्धित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देय होगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जाएगी। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कोपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएगें। **ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रखी जाकर साक्षात्कार के समय आवश्यक रूप से साथ लावे।**

12. **आवेदन शुल्क–सामान्य** वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क रूपये 80/–एवं बीसी/अनु.जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रूपये 50/–देय होगा। सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु) आवेदन शुल्क 50/–देय होगा। परीक्षा शुल्क नगद/नेटबैंकिग या डेबिड/केडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

13. **साक्षात्कार**:–आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदनकर्ताओं का दिनांक 22.12.2022 से साक्षात्कार लिया जाना प्रस्तावित है। साक्षात्कार के लिए स्थान, समय व दिनांक अभ्यर्थी के ई–प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। साक्षात्कार एवं अग्रिम कार्यवाही की सूचना के लिए अभ्यर्थी समय–समय पर वैबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहें। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा। साक्षात्कार के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य है:–

1– ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की प्रति।
2–साक्षात्कार के लिए जारी ई–प्रवेश पत्र की प्रति।
3–शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति।
4– जन्म तिथि संबंधि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
5– जाति प्रमाण–पत्र की प्रति।
6–दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
7– सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र।
8– विवाह पंजीयन बाबत शपथ पत्र।(केवल विवाहित के लिए)
9– दहेज न लेने बाबत शपथ पत्र।
10– एक से अधिक पति/पत्नि न होने बाबत शपथ पत्र।
11–जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
12–बिन्दु संख्या–5 पर अंकित शपथ–पत्र की प्रति।

(अभिजीत सिंह)
पुलिस अधीक्षक,
आसूचना, जयपुर।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय/भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जयपुर।
6. उपमहानिरीक्षक पुलिस, सुरक्षा/इन्टेलीजेंस, जयपुर।
7. निदेशक तकनीकी, राजकॉम इन्फो सर्विसेज, प्रथम तल, योजना भवन, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (प्रचार) सीआईडी (सीबी), जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय एवं स्थानीय एक–एक प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
9. जिला नियोजन अधिकारी, जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड विशेष शाखा मुख्यालय जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना, जयपुर।

राज्य विशेष शाखा राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कैनल बॉय) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(विज्ञप्ति कमांक......................../दिनांक ....)

1. नाम आवेदक :–..
2. पिता /पति का नाम :–..
3. जाति /वर्ग :–..
4. आरक्षित वर्ग का नाम (यदि लागू हों) :–..
5. स्थाई पता मय मोबाईल नं. :–..
6. वर्तमान पता :–..
....
7. आवेदक के वर्तमान में जीवित कुल संतानों की संख्याः–
   (क) दिनांक 31.05.2002 तक जन्म लिए हुए :–..
   (ख) दिनांक 31.05.2002 के पश्चात जन्म लिए हुए :–..
8. निकट पुलिस स्टेशन :–..
9. जन्म तिथि (अंको में) :–..
   (शब्दो में) :–..
10. दिनांक 01.01.2023 को आयु :– वर्ष..............माह............दिन............
11. शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम 5वीं पास अनिवार्य है) :– ....
12. वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हों पद, सेवा की अवधि एवं पदनाम :–..
13. अग्रेषण अधिकारी का नाम पदनाम यदि अभ्यार्थी पूर्व में सेवारत है। :– ....
14. राष्ट्रीयता :–..
15. नियोजन कार्यालय का पंजीयन कमांक व इसकी वैधता तिथि :–..
16. पूर्व में कोई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व हुआ है, यदि हां तो विवरणः–

उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है उक्त सूचना में से किसी के गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता निरस्त करने एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

स्थानः–

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर